विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 32 / 2026

संस्थित दिनांक 30.07.2026

Nikita Naidu, ...परिवादी

C/o Shri Ramesh Naidu,

35/1101, Near Rawal Kirana Store,

Pension Bada, Raipur (C.G.)

Mob.No. – 93019-55226

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (मध्य), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 31 / 08 / 2026 को पारित)

अपने परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन का, माह जून 2026 का देयक उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि का प्रेषित किए जाने से असंतुष्ट होकर एवं संशोधित देयक प्रदान किए जाने के निवेदन के साथ परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. मकान नं.–2 / 843, विवेकानंद नगर, रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में, घरेलू उपयोग हेतु, 680 वाट भार का विद्युत कनेक्शन, बी.पी.कमांक 1000618270 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. परिवादी को माह जून 2026 का, 878 यूनिट का देयक उत्तरवादी द्वारा प्रेषित किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रेषित माह जून 2026 का, 878 यूनिट का, राशि रू. 6450.00 का विद्युत देयक त्रुटिपूर्ण है । परिवादी के अनुसार पिछले दो वर्षो की अवधि में कभी भी उसकी विद्युत खपत इतनी अधिक नहीं रही है और न ही इतनी अधिक राशि का देयक उसे प्राप्त हुआ है । देयक में दर्ज गणितीय गणना की त्रुटि के आधार पर भी परिवादी द्वारा देयक को संदेहपूर्ण बताया गया है । उत्तरवादी के कार्यालय में इस संबंध

में शिकायत किए जाने पर परिवादी को बताया गया कि स्टाफ की कमी के कारण उसकी शिकायत की जांच नहीं की जा सकी है । परिवादी के अनुसार उसकी शिकायत की समुचित जांच के बगैर एवं बिना उसका पक्ष सुने हुए विवादित राशि की वसूली एवं लाईन विच्छेदन की कार्यवाही नियम विरूद्ध होगी । उत्तरवादी की कार्यवाही को सेवा में कमी मानते हुए परिवादी द्वारा उसके देयक की अविलंब जांच करते हुए आवश्यक संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 1878 दिनांक 03.08.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के परिसर में स्थापित मीटर माह अप्रैल 2026 में डिफेक्टिव हो गया था जिसे माह मई 2026 में बदल दिया गया जिसके कारण माह मई 2026 का परिवादी का देयक औसत यूनिट का जारी हुआ । माह जून 2026 के देयक में एक साथ पूर्व खपत की बिलिंग हुई जिसे दिनांक 30.07.2026 को माह मई एवं जून 2026 के देयक में स्लैब रिबेट देते हुए सुधार दिया गया है । परिवादी द्वारा मांगे जाने पर देयक का भुगतान किश्तों में किए जाने की सुविधा प्रदान की गयी है । प्रथम किश्त की राशि रू. 2470.00 का भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 30.07.2026 को किया जा चुका है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

क्या परिवादी के माह मई एवं जून 2026 के देयक में स्लैब रिबेट देते हुए उत्तरवादी द्वारा देयक संशोधित किया जाना सही एवं नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुईं । उत्तरवादी द्वारा फोरम को यह बताया गया कि परिवादी को प्रेषित माह जून 2026 के देयक में दर्ज यूनिट को माह मई एवं जून 2026 में बांटते हुए स्लैब का लाभ देते हुए परिवादी के देयक में संशोधन कर दिया गया है ।

उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी के माह जून 2026 के देयक में दर्ज एकत्रित खपत को माह मई एवं जून 2026 में बांटकर स्लैब रिबेट देते हुए की गयी देयक सुधार की कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है ।

रायपुर (शहर)

7. दूरभाष के माध्यम से संपर्क किए जाने पर परिवादी द्वारा देयक संशोधन किए जाने एवं देयक भुगतान हेतु किश्तों की सुविधा प्रदान किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी ।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में सफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

परिवादी के माह जून 2026 के देयक में संशोधन करते हुए उत्तरवादी द्वारा परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है । फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

9. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य

रायपुर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष